

(आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 09-05-2023 को अपलोड किया जाना है)



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन
मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं. 12, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

Government of India,
Ministry of Personnel, Public
Grievances & Pensions,
Department of Personnel and
Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

(आयोग की वेबसाइट: <https://ssc.nic.in>)

विज्ञप्ति

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2023

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीखें	09-05-2023 से 08-06-2023
आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	08-06-2023 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	10-06-2023 (23:00 बजे)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि और समय	11-06-2023 (23:00 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	12-06-2023
‘आवेदन-पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो’ एवं सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तिथि	14-06-2023 से 15-06-2023 (23:00 बजे)
टियर-। परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) का कार्यक्रम	अगस्त, 2023
टियर-।। परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) का कार्यक्रम	बाद में अधिसूचित किया जाएगा

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

फा.सं. HQ-PPI03/11/2023-PP_1: कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों और विभिन्न सांविधानिक निकायों/सांविधिक निकायों/ न्यायाधिकरणों आदि के लिए अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा के ब्योरे निम्नानुसार हैं:-

1. वेतनमान :-

- 1.1 अवर श्रेणी लिपिक (अ.श्रे.लि.)/ कनिष्ठ सचिवालय सहायक (क.स.स.) : वेतन-स्तर- 2 (19,900-63,200 रुपए)।
- 1.2 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (डी ई ओ) : वेतन-स्तर- 4 (25,500-81,100 रुपए), और : वेतन-स्तर- 5 (29,200-92,300 रुपए)
- 1.3 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' : वेतन-स्तर- 4 (25,500-81,100 रुपए)

2. रिक्तियां

2.1 रिक्तियों की अनंतिम संख्या : रिक्तियों की संख्या लगभग 1600 है। तथापि रिक्तियों की सही संख्या यथा-समय निर्धारित की जाएगी। रिक्तियों की अद्यतन स्थिति, यदि कोई है, पद-वार एवं श्रेणी- वार आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in> > Candidate's corner- > Tentative Vacancy) पर यथा-समय उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी नोट कर लें कि आयोग द्वारा राज्य-वार / क्षेत्र-वार रिक्तियों का संग्रहण नहीं किया जाता है।

3. आरक्षण:

3.1 सभी श्रेणियों के पदों/ सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू एस), भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) एवं बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पी डब्ल्यू बीडी) इत्यादि के लिए यथा-प्रयोज्य एवं अनुमत्य आरक्षण मांगकर्ता मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/ संवर्गों द्वारा किए गए

निर्धारण एवं दी गई सूचना के अनुसार और वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना, विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना तथा विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की उपयुक्तता की पहचान प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

3.3 आयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III, दिनांक 04.01.2021 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम, 2016 के तहत अथवा मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा चिन्हित किए गए और सूचित किए गए विशिष्ट पदों के लिए विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विचार करेगा।

क्र.सं.	पद का नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए उपयुक्त श्रेणी
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अन्य विभागों में ग्रेड 'ए'	बै., ख.हो., च., उ.प., प.ले., दे., सु.	क) अ.द., ख) ब., श्र.दि. ग) ए.बा., दो.बा., ए.पै., दो.पै., ए.बा.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी., मा.दु., स्नायु / अंग शिथिलता के बिना री.वि./री.चो. घ) ऑ.स्पे. वि (ह, म.), बौ.दि., वि.अ.दि., मा.रु. ड.) उपर्युक्त (क) से (घ) सहित ब.दि.
2	अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ	बै., ख.हो., च., झू., प.ले., दे.,	क) नेही., अ.द., ख) ब., श्र.दि.

	सचिवालय सहायक	सु. सं., उ.प.	ग) ए.बा., दो.बा., ए.पै., दो.पै., ए.बा.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी., मा.दु., स्नायु / अंग शिथिलता के बिना री.वि./री.चो. घ) ऑ.स्पे. वि (ह, म.), बौ.दि., वि.अ.दि., मा.रु. ड.) उपर्युक्त (क) से (घ) सहित ब.दि.
--	------------------	---------------	---

प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द :

- शारीरिक दिव्यांगताओं की प्रकृति : नेही = नेत्रहीन, अ.दृ. = अल्प-दृष्टि, ब. = बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.बा. = एक बांह, दो.बा. =दोनों बांह, ए.पै. = एक पैर, दो.पै. =दोनों पैर, ए.बा.पै. = एक बांह और एक पैर, प्र.प. = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु. = अभिसाधित कुष्ठ, बौ. = बौनापन, ए.ह.पी. = एसिड हमले के पीड़ित, मा.दु. = मांसपेशीय दुर्विकास, ऑ.स्पे. वि. (ह, म.) = ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार (हल्का, मध्यम), बौ.दि. = बौद्धिक दिव्यांगता, वि.अ.दि. = विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता, मा.रु. = मानसिक रुग्णता, ब.दि. = बहु दिव्यांगता, री.वि. = रीढ़ की हड्डी का विकार, री.चो. = रीढ़ की हड्डी की चोट, बौ.दि., मा.रु. ब.दि.
- शारीरिक अपेक्षाएं : बै. = बैठना, ख = खड़ा होना, च = चलना, झु. = झुकना, उ.प. = उंगलियों का परिचालन, दे = देखना, सु = सुनना, सं. = संप्रेषण

4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

4.1 अभ्यर्थी या तो

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो, या
- (घ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व टंजानिका व

जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

4.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग) तथा (घ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

4.3 ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

5. आयु सीमा (01-08-2023 तक):

5.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14017 /70/87-Estt.(RR) दिनांक 14-07-1988 के प्रावधानों के अनुसार आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि 01-08-2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए आयु सीमा 18-27 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी न तो 02-08-1996 से पहले और ना ही 01-08-2005 के बाद जन्म लिया हो, आवेदन करने के लिए पात्र है:-

5.2 भारत सरकार के मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अपिव	03 वर्ष
3.	दिव्यांगजन (अनारक्षित)	10 वर्ष
4.	शा.दि. (अपिव)	13 वर्ष
5.	शा.दि. (अजा /अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष

8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा/अजजा)	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

5.3 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी गई जन्मतिथि और मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित वही जन्मतिथि ही आयु पात्रता के निर्धारण के लिए स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

5.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में

छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, जैसाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में उल्लिखित है, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा / करता है / करती है / वचन देता है / वचन देती है।

5.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर (इसे उसका/उसकी पढ़ा जाए) भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात् 08-06-2024 से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

5.7 स्पष्टीकरण:

भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

5.7.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

i. जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त अथवा कार्यमुक्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर सेवानिवृत्त हुए हों अथवा जिन्हें नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त कार्यमुक्त किया गया हो किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

ii. जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या

iii. जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

अथवा

5.7.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी शामिल हैं;

अथवा

5.7.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

5.7.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

5.7.5 प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.7.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

5.8 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक(जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अतः ऐसे मैट्रिकुलेट भूपूसे, जिन्होंने आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं ।

5.9 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र उस समय प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/आकव./बे.दिव्यां/भूपूसे स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम,1995 (1996 का 1) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

6.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए

अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी X ने अपने आवेदन पत्र में ओबीसी भरा। तथापि, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, वह वैध ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा X की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6.3 बेंचमार्क दिव्यांग (बें.दि.) अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता के प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता उप-श्रेणी अर्थात् अ.दि./श्र.दि. /ट.दि / बें.दि.-अन्य का चयन करना होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में, बेंचमार्क दिव्यांगता उप-श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित मांगकर्ता विभागों/संगठनों द्वारा मांगे जाने पर आवेदन पत्र में घोषित उप श्रेणी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाए कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 04.01.2021की अधिसूचना संख्या 38-16 / 2020-DD-III के अनुसार दिव्यांगता / दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे ए.बा., ए.पै, दो.पै, बौ., मा.रू., वि.अ.दि.आदि)का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्रमें भरी गई दिव्यांगता की उप श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी रूप में, जैसे- डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि से प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

6.4 अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दिव्या. दर्जे का दावा करने अथवा अन्य किसी भी लाभ अर्थात् शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के लिए निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 08-06-2023 होगी।

6.5 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।

6.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय के आधार पर डीओपीटी ओएम संख्या 36039/1/2019-स्था.(आर.) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार जारी किया गया है।

6.7 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दिव्यां / भूपूसै दर्जे का दावा करते हैं या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

7. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:

7.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है।

7.2 बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में, **अनुबंध-1** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने से संबंधित शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

7.3 40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांग अभ्यर्थी को भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता

मंत्रालय के दिनांक 10.08.2022 के का. ज्ञा. सं. 29-6/2019-डीडी-III के अनुसरण में प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा **अनुबंध-1क** के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी।

7.4 बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक/ पाठ वाचक की सुविधा सिर्फ तभी प्रदान की जाएगी अगर उसने ऑनलाईन आवेदनपत्र में इस विकल्प का चयन किया हो।

7.5 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया की गई प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाईन आवेदनपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

7.6 यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के समय **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त पैरा 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों और अपना प्रलिपिक का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-IIक** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 14.7 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध-II / अनुबंध-IIक** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।

7.7 यदि अभ्यर्थी अपना प्रलिपिक चुनता है तो वह प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

7.8 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7.1 , 7.2 और 7.3 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

7.9 उपरोक्त पैरा 7.1 , 7.2 और 7.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

7.10 परीक्षा हॉल के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.11 एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लेंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लेंस लाना होगा।

7.12 बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

8. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता: (01-08-2023 की स्थिति के अनुसार)

8.1 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग), उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ)/ डीईओ ग्रेड 'ए' के लिए: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से एक विषय के रूप में गणित सहित विज्ञान स्ट्रीम में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।

8.2 अवर श्रेणी लिपिक / कनिष्ठ सचिवालय सहायक तथा डाटा एंट्री आपरेटर / डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'ए' के लिए (उपर्युक्त पैरा 8.1 पर

उल्लिखित मंत्रालय/ विभाग में डीईओ को छोड़कर) : अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो ।

8.3 जो अभ्यर्थी 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष की परीक्षा दे रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कटऑफ तारीख अर्थात् दिनांक 01.08.2023 को या उससे पहले उत्तीर्ण कर ली है ।

8.4 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो । तदनुसार, जब तक ऐसी डिग्रियाँ संगत अवधि के लिए मान्य न हों जब अभ्यर्थी ने उन्हें अर्जित किया है, उन्हें शैक्षणिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रासंगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुमोदन को भी प्रस्तुत करेंगे ।

8.5 शासकीय राजपत्र में भाग III (8) (v) के अधीन दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण) विनियमावली, 2017 के अनुसार अभियांत्रिकी, मेडीसीन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और फिजियोथेरेपी आदि पाठ्यक्रमों के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अधीन शिक्षण की अनुमति नहीं है । तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सि) सं. 382/2018 में एम.ए. सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.3.2019 के आदेश के अनुसरण में बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, जो इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को प्रदान किया गया था, जहाँ कहीं भी लागू हो, उसे मान्य माना जाएगा।

8.6 अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के प्रयोजनार्थ मांगे जाने पर, अभ्यर्थियों को अनुबंधित समय-सीमा अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण पत्र जैसे इंटरमीडिएट / उच्चतर माध्यमिक/ 10+2 / उच्च माध्यमिक की अंकतालिकाएं / अनंतिम प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। **यह पुनः बताया जाता है कि जरूरी शैक्षणिक योग्यता के परिणाम संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाने चाहिए। संस्थान/ विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि के पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं है।**

8.7 समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों / नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

9. **आवेदन कैसे करें :**

9.1 आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** को देखें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के नमूने **अनुबंध-III क** और **अनुबंध-IVक** के रूप में संलग्न हैं।

9.2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले [2018

की रिट याचिका (सि) सं. 234] में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुसरण में फ़ोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए । सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

9.3 अभ्यर्थी आवेदनपत्र जमा करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि फोटोग्राफ दिए गए निर्देशों के अनुसार ही अपलोड की गई है । अगर अभ्यर्थी द्वारा सही फ़ोटो अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के जो नमूने स्वीकार्य/ अस्वीकार्य हैं, अनुबंध- V में चित्रित किए गए हैं।

9.4 ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय **08-06-2023 (23:00 बजे)** है ।

9.5 अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉग-इन करते समय विसंबंधन/असमर्थता अथवा असफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें तथा अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें ।

9.6 यदि अभ्यर्थी पूर्वकथित कारणों अथवा आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन अंतिम तिथि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए आयोग की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

9.7 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प के जरिए यह जरूर जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के हर स्थान पर सही ब्योरा भरा है।

10 आवेदन शुल्क :

10.1 देय शुल्क: 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए) ।

10.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्लूडी) और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10.3 शुल्क का भुगतान बी.एच.आई.एम.यू.पी.आई, वीजा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड का उपयोग करके नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान को तैयार करके भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में किया जा सकता है ।

10.4 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 10-06-2023 (23:00 बजे) तक किया जा सकता है । तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 12-06-2023 तक बैंक के कार्य-समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नगद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने 11-06-2023 (23:00 बजे) तक चालान तैयार कर लिया है ।

10.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है । यदि कचआ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी । इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैया किए गए लिंक "Payment Status" पर जांच की जा सकती है । ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण, अभी भी अपूर्ण है, को **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों और शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

10.6 एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा ।

11. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [14-06-2023 से 15-06-2023 (23:00 बजे)]:

11.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमाणों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

11.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

11.4 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

11.5 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

11.6 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

11.7 लागू सुधार राशि के अध्येक्षित, नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

11.8 यदि कचआ को सुधार शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी । ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पहले जमा किए आवेदन वैध रहेंगे ।

11.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

12. परीक्षा केन्द्र

12.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उस केन्द्र (केन्द्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के ब्यौरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/ वेबसाइट
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज, - 211 001. http://www.ssc-cr.org
2.	पोर्ट ब्लेयर (4802), धनबाद ((4206),	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) /	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग,

	जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (ओडिशा) (4601), बेहरामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), बर्दवान (4404), दुर्गापुर (4426), कल्याणी (4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 (www.sscer.org)
3.	बेलागवी (9002), बेंगलूरु (9001), हुबली (9011), कलबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मेंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), उडूपी (9012), एरणाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211), कवारत्ती (9401)।	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004

	(6202) , रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205)		(www.sscmpr.org)
5.	ईटानगर (5001) , डिब्रूगढ़ (5102) , गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), चूड़ाचांदपुर (5502), इम्फाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजॉल (5701), दिमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 www.sscner.org.in
6.	देहरादून (2002) , हल्द्वानी (2003), रुड़की (2006), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), उदयपुर (2409), सीकर (2411)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 www.sscnr.net.in
7.	चण्डीगढ़/ मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), लेह (1005) , अमृतसर (1404), भटिंडा (1401), जालंधर (1402) , पटियाला	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 www.sscnwr.org

	(1403)		
8.	चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाड़ा (8009), कर्नूल (8003), नेल्लौर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), कृष्णागिरि (8209), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना ।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 www.sscsr.gov.in
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वदोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 www.sscwr.net

12.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। परीक्षा के किसी भी चरण / टियर पर केंद्र में परिवर्तन करने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

12.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केन्द्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर स्थानांतरित कर दे।

13. परीक्षा की रूप रेखा

13.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा निम्नानुसार दो टियरों में आयोजित की जाएगी :

13.1.1 टियर- I

13.1.2 टियर- II

13.2 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की गयी है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग की विज्ञप्ति सं:1-1/2018-पी&पी-1 दिनांक-07.02.2019 के माध्यम से प्रकाशित सूत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा और इस प्रकार सामान्यीकृत किए गए अंकों को अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

13.3 परीक्षा के बाद संभावित उत्तर-कुंजी आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से परख सकते हैं और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर, 100 रु. प्रति प्रश्न का भुगतान करके, ऑनलाईन माध्यम से दे सकते हैं। उत्तर कुंजियों को अपलोड करने के समय आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को, उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले, संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। किसी

भी अन्य माध्यम जैसे पत्र, आवेदन, ई-मेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.4 विज्ञप्ति में उल्लेखित परीक्षा का कार्यक्रम अनंतिम है। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव होने पर उसकी जानकारी सिर्फ आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

13.5 प्रश्न-पत्र में जहां कहीं भी जरूरत होगी, भार और माप की मीट्रिक प्रणाली व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।

13.6 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनरावेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.7 अंग्रेजी और चुनी गई भाषा के प्रश्नों में कोई अंतर / विसंगति / विवाद होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण की विषय-वस्तु मान्य होगी।

13.8 टियर- I परीक्षा की रूप रेखा

टियर	भाग	विषय अनुक्रम में नहीं) (हैं	प्रश्नों की संख्या अधिकतम / अंक	समय अवधि (सभी चार) भागों के (लिए
I	I	अंग्रेजी भाषा (मूल ज्ञान)	25 / 50	60 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट)
	II	सामान्य बुद्धिमत्ता	25 / 50	
	III	मात्रात्मक अभिरूचि: (सामान्य अंकगणितीय योग्यता)	25 / 50	
	IV	सामान्य जागरूकता	25 / 50	

13.8.1 टीयर-I परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र अंग्रेजी, हिंदी और आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई किसी

भी भाषा में तैयार किए जाएंगे, जैसा कि टियर- I परीक्षा के भाग- II, III और IV के लिए अनुबंध-XVI में दिया गया है।

13.8.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर देते समय इस परामर्श को ध्यान में रखें।

13.9 टियर-II परीक्षा की रूप रेखा :

टियर	सत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
II	सत्र-I (2 घंटे और 15 मिनट)	खंड-I: मॉड्यूल-I: गणितीय क्षमताएं मॉड्यूल-II: तर्क शक्ति और सामान्य बुद्धिमत्ता	30 30 Total = 60	$60 \times 3 = 180$	1 घंटा (प्रत्येक खंड के लिए) (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिकों के पात्र अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा 20 मिनट)
		खंड-II: मॉड्यूल-I: अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान मॉड्यूल-II: सामान्य जागरूकता	40 20 Total = 60	$60 \times 3 = 180$	

		खंड-III: मोड्यूल--I: कंप्यूटर ज्ञान मोड्यूल	15	15*3 = 45	15 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट)
सत्र-II		खंड-III: मोड्यूल-II: कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा मोड्यूल	भाग क: पैरा 8.1 पर उल्लिखि त विभाग/ मंत्रालय में डीईओ के लिए कौशल परीक्षा।	-	15 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट)
			भाग ख: पैरा 8.1 पर उल्लिखि त विभाग/ मंत्रालय में छोडकर डीईओ के लिए	-	15 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट)

			कौशल परीक्षा।		
			भाग ग: अवर श्रेणी लिपिक / कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए टंकण परीक्षा		10 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 15 मिनट)

13.9.1 टियर-II में निम्नलिखित तीन खंड शामिल होंगे जिनमें से प्रत्येक में दो मॉड्यूल होंगे:

13.9.1.1 **खंड-I:**

13.9.1.1.1 **मॉड्यूल-I:** गणितीय क्षमताएं

13.9.1.1.2 **मॉड्यूल-II:** तर्कशक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता

13.9.1.2 **खंड-II:**

13.9.1.2.1 **मॉड्यूल-I:** अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान

13.9.1.2.2 **मॉड्यूल-II:** सामान्य जानकारी

13.9.1.3 **खंड-III:**

13.9.1.3.1 **मॉड्यूल-I:** कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा

13.9.1.3.2 **मॉड्यूल-II:** कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा

13.9.2 टियर-II दो सत्रों - सत्र-I और सत्र-II में एक ही दिन आयोजित किया जाएगा। सत्र-I में खंड-I, खंड-II और खंड-III के मॉड्यूल-I का आयोजन शामिल होगा। सत्र-II में खंड-III के मॉड्यूल-II का आयोजन शामिल होगा।

- 13.9.3 **अभ्यर्थियों के लिए टियर-II के सभी खंडों में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।**
- 13.9.4 टियर-II में खंड-III के मॉड्यूल-II को छोड़कर वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड-II में मॉड्यूल-II (अर्थात अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान मॉड्यूल) को छोड़कर प्रश्नपत्र अंग्रेजी, हिंदी और आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चुनी गई किसी भाषा, जैसा कि **अनुबंध-XVI** पर दिया गया है, में तैयार किए जाएंगे।
- 13.9.5 खंड-I, खंड-II और खंड-III के मॉड्यूल-I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।
- 13.9.6 खंड-III का मॉड्यूल-I यानी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य है लेकिन अर्हक प्रकृति की है।
- 13.9.7 खंड-III का मॉड्यूल-II अर्थात कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा:
- 13.9.7.1 खंड -III के मॉड्यूल-II में उसी दिन सत्र-II में कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा की जाएगी ।
- 13.9.7.2 कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी ।
- 13.9.7.3 कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा का मूल्यांकन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।
- 13.9.7.4 कौशल परीक्षा में त्रुटियों की गणना दशमलव के दो स्थानों तक की जाएगी।
- 13.9.7.5 कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा निम्नलिखित रूप रेखा योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:
- 13.9.7.6 **डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा:**
- 13.9.7.6.1 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कौशल परीक्षा अनिवार्य है। किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट नहीं है।

13.9.7.6.2 **भाग क – पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय में डीईओ/डीईओ ग्रेड 'ए' के पद के लिए कौशल परीक्षा:** दिए गए अवतरण के अनुसार 'कंप्यूटर पर 15,000 (पंद्रह हजार) की डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटा एंट्री स्पीड' की शब्दों /की-डिप्रेशन की सही प्रविष्टि के आधार पर निर्णय लिया जाएगा । परीक्षा की अवधि 15 (पंद्रह) मिनट होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को लगभग 3700-4000 की-डिप्रेशन वाली अंग्रेजी में मुद्रित विषय-वस्तु दी जाएगी, जो इसे कंप्यूटर में दर्ज करेगा। कंप्यूटर में दर्ज किए जाने वाले अवतरण (पैसेज) को कंप्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

13.9.7.6.3 **भाग ख – पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय को छोड़कर डीईओ/डीईओ ग्रेड 'ए' के पद के लिए कौशल परीक्षा:** दिए गए अवतरण के अनुसार 'कंप्यूटर पर 8000 (आठ हजार) की डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटा एंट्री स्पीड' की शब्दों /की-डिप्रेशन की सही प्रविष्टि के आधार पर निर्णय लिया जाएगा । परीक्षा की अवधि 15 (पंद्रह) मिनट होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को लगभग 2000-2200 की-डिप्रेशन वाली अंग्रेजी में मुद्रित विषय-वस्तु दी जाएगी, जो इसे कंप्यूटर में दर्ज करेगा। कंप्यूटर में दर्ज किए जाने वाले अवतरण (पैसेज) को कंप्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

13.9.7.6.4 पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों को 5 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कौशल परीक्षा की अवधि 20 मिनट होगी।

13.9.7.7 **भाग ग - अन्य पदों अर्थात अवर श्रेणी लिपिक / कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए टंकण परीक्षा :**

13.9.7.7.1 टंकण परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा । अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में टंकण परीक्षा का माध्यम (अर्थात हिंदी या अंग्रेजी) चुनना होगा।

- 13.9.7.7.2 ऑनलाइन आवेदनपत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए टंकण परीक्षा संबंधी विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में टंकण परीक्षा के माध्यम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- 13.9.7.7.3 अंग्रेजी माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थियों की टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट (w.p.m.) होनी चाहिए और हिंदी माध्यम चुनने वालों की टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट (w.p.m.) होनी चाहिए। 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट लगभग 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटे और लगभग 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के अनुरूप हैं।
- 13.9.7.7.4 स्पीड का आंकलन 10 मिनट में दिए गए पाठ अवतरण (पैसेज) का कंप्यूटर पर टंकण करने की सटीकता के आधार पर किया जाएगा।
- 13.9.7.7.5 पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र उम्मीदवारों को 5 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए टंकण परीक्षा की अवधि 15 मिनट होगी।
- 13.9.7.7.6 टंकण परीक्षा के लिए उन द.दि. अभ्यर्थियों को पाठ वाचक प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रलिपिक का विकल्प चुना है। पाठ वाचक आवंटित समय अवधि के भीतर द.दि. अभ्यर्थी को अवतरण (पैसेज) पढ़कर सुनाएगा।
- 13.9.7.7.7 दिव्यांग अभ्यर्थी जो शारीरिक अक्षमता के कारण टंकण परीक्षा देने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त होने का दावा करते हैं, उन्हें आयोग के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परीक्षा में उपस्थित होने और अर्हता प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि वह अभ्यर्थी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य देख – रेख संस्थान के सिविल सर्जन से निर्धारित प्रारूप (**अनुबंध-XIV**) में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें उसे शारीरिक अक्षमता के कारण टंकण परीक्षा के लिए स्थायी रूप से

अयोग्य घोषित किया गया हो । इसके अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के समय परीक्षा-विज्ञप्ति के **अनुबंध-XI से अनुबंध-XIII** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपने दावे को प्रमाणित करना होगा। अन्यथा आयोग द्वारा टंकण परीक्षा से छूट प्राप्त करने के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.10 निर्देशात्मक पाठ्यक्रम (टियर- I):

13.10.1 **अंग्रेजी भाषा:** त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कृतवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रूपान्तरण, वाक्यांशों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों के फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ ।

13.10.2 **सामान्य बुद्धिमत्ता :** इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस परीक्षा में वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य, स्पेस आरिएन्टेशन, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, रेखाचित्र अनुमान, अंकीय/आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अर्थगत श्रृंखला, आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक श्रृंखला, अन्तः स्थापित रेखाचित्र, अंक श्रृंखला, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, अन्य उप विषय यदि कोई हों, संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा।

13.10.3 संख्यात्मक अभिरुचि :

13.10.3.1 **संख्या प्रणाली:** पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध,

- 13.10.3.2 **मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएँ:** प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज (साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य ।
- 13.10.3.3 **बीजगणित:** स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र ।
- 13.10.3.4 **रेखागणित:** प्रारंभिक रेखागणितीय आँकड़े एवं वास्तविकताओं से परिचय :
त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा ।
- 13.10.3.5 **क्षेत्रमिति:** त्रिकोण, चतुर्भुज, नियत बहुभुज, वृत्त, सम प्रिज्म, सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयातकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड
- 13.10.3.6 **त्रिकोणमिति:** त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, कोटिपूरक कोण, लंबाई व दूरी (केवल सरल निर्मेय) मानक सारूप्यता, जैसे- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ आदि ।
- 13.10.3.7 **सांख्यिकीय चार्ट:** तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग : आयतचित्र, बारंबारता पॉलिजेन, दण्ड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट
- 13.10.4 **सामान्य जागरूकता :** अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य,

सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

13.10.5 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और संख्यात्मक अभिरूचि प्रश्न पत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।

13.11 निर्देशात्मक पाठ्यक्रम (टियर- II):

13.11.1 **खंड-I का मॉड्यूल-I (गणितीय क्षमता)**

13.11.1.1 **अंक प्रणाली** : पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध ।

13.11.1.2 **मौलिक अंकगणितीय संचालन** : प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज(साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य

13.11.1.3 **बीजगणित** : स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी (सामान्य समस्या) के बीजगणितीय ज्ञान और रेखीय समीकरणों के ग्राफ ।

13.11.1.4 **ज्यामिति** : सामान्य ज्यामितिय आंकड़ों एवं तथ्यों से परिचित होना : त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्तकी जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं ।

13.11.1.5 **माप** : त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तर षटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय समपिरेमिड ।

13.11.1.6 **त्रिकोणमिति** : त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपूरक कोण, ऊचाई और दूरी (सामान्य समस्या) मानक सहरुष्यता जैसे $\sin^2 \theta + \text{Cos}^2 \theta = 1$ आदि।

13.11.1.7 **सांख्यिकी और संभावना** : तालिकाओं और ग्राफ का प्रयोग : हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, माधिका, बहुलक, मानक विचलन; सरल संभावनाओं की गणना।

13.11.2 खंड-I का मॉड्यूल-II। (तर्कशक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता)

13.11.2.1 इसमें शब्दिक और गैर-शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इनमें सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक संचालन, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, उपनति, आंकड़े संबंधी समानता अन्तराल अभिविन्यास, सीमेंटिक वर्गीकरण, वेन डाइग्राम, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, रेखाचित्र अनुमिति, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, पंचड होल/ पैटर्न फोल्डिंग व अन्फोल्डिंग, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, अंतः स्थपित आंकड़े, आंकड़े संबंधी समानता, आलोचनात्मक विवेचन, समस्या समाधान, कोडिंग/डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, अन्य संबंधित विषय, यदि कोई है, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

13.11.3 खंड-II का मॉड्यूल-I (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान) :

13.11.3.1 शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोमार्थक और उनका उचित प्रयोग; गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, समानार्थक, विलोमार्थक, वर्तनी/अशुद्ध शब्दों की पहचान, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों का सुधार, क्रियाओं के क्रियाओं के कर्तृ वाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन का परिवर्तन, परिच्छेद में वाक्यों के भागों का परिवर्तन, निकट परिच्छेद और परिज्ञान परिच्छेद । बोध के परीक्षण हेतु दो या उससे अधिक अनुच्छेद दिए जाएंगे और उनके आधार पर दिए गए प्रश्न पूछे जाएंगे । कम से कम एक अनुच्छेद साधारण, एक अनुच्छेद किसी पुस्तक अथवा कहानी पर आधारित और अन्य दो अनुच्छेद सामयिकी पर, किसी रिपोर्ट या संपादकीय पर आधारित होना चाहिए ।

13.11.4 खंड-II का मॉड्यूल-II (सामान्य जागरूकता) :

13.11.4.1 प्रश्नों को अभ्यर्थियों की अपने आस-पास के वातावरण की सामान्य जागरूकता और समाज में उसके अनुप्रयोग के परीक्षण हेतु तैयार किया गया है । प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए और रोजमर्रा के ऐसे मामलों के अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव के परीक्षण करने हेतु भी तैयार किया गया है जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हो सकता है।

13.11.5 पेपर-I के खंड-III का मॉड्यूल-I (कंप्यूटर दक्षता) :

- 13.11.5.1 **कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान** : कंप्यूटर की संरचना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), इनपुट/आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गनाइजेशन, बैक-अप डिवाइस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर की बोर्ड शॉर्टकट ।
- 13.11.5.2 **सॉफ्टवेयर** : विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मूल चीजें जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट आदि ।
- 13.11.5.3 **इंटरनेट और ई-मेल के साथ काम करना**: वेब ब्राउजिंग और सर्च करना, डाउनलोड करना और अपलोड करना। ई-मेल अकाउंट का प्रबंधन, ई-बैंकिंग।
- 13.11.5.4 **नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा की मूल बातें**: नेटवर्किंग डिवाइस और प्रोटोकॉल, नेटवर्क और सूचना सुरक्षा खतरे (जैसे हैकिंग, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन आदि) और निवारक उपाय।
- 13.11.6 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और संख्यात्मक अभिरूचि प्रश्न पत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।

14. परीक्षा में प्रवेश

14.1 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (टियर-1) में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

14.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन

में दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात प्रयोक्ता विभागों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि मांगकर्ता प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों आदि की जांच के पश्चात यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

14.3 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी व सूचनाओं के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (अर्थात् <https://ssc.nic.in>) और अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं (ब्योरा पैरा 12.1 पर है)।

14.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

14.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण संख्या, रोल नम्बर, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14.6 परीक्षा से लगभग तीन से सात दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

14.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, **मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वही जन्म तिथि लिखी हो जो प्रवेश प्रमाण-पत्र में छपी है**, लाना अनिवार्य है, जैसे:

- 14.7.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
- 14.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,
- 14.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
- 14.7.4 पैन कार्ड,
- 14.7.5 पासपोर्ट,
- 14.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,
- 14.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)
- 14.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतभूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
- 14.7.9 केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी वैद्य फोटो पहचान पत्र

14.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.9 पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

14.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

15. पद वरीयताएं :

15.1 यह परीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में बहुत से पदों के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प के जरिए ली जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद और मंत्रालय/विभाग के लिए अपनी वरीयता नहीं दी है तो उस पद या मंत्रालय/विभाग के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार दिए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इसे बाद में बदला नहीं जाएगा। **इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्पों का चयन करने में सावधानी बरतें।**

15.2 जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (ओं) को प्रस्तुत नहीं करते हैं, अंतिम परिणाम में उनके नाम पर किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता का प्रयोग करने का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में किसी भी रूप, जैसे- डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)

16.1 भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के सरकार के निर्णय के मद्देनजर, अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) आयोजित किया जाएगा।

16.2 अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान निम्नानुसार विभिन्न दस्तावेज़ों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:

16.2.1 मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र

16.2.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

16.2.3 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।

16.2.4 यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र ।

16.2.5 यदि लागू हो, तो आवश्यक प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र ।

16.2.6 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए:

16.2.6.1 अनुबंध- VIII के अनुसार वचनबंध

16.2.6.2 यदि लागू हो, तो अनुबंध-VII के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र

16.2.6.3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र

16.2.7 यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाण-पत्र

16.2.8 सरकार/सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र

16.2.9 ऐसा अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

16.2.9.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

16.2.9.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

16.2.9.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र;

16.2.9.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

16.2.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

16.3 यह पुनः बताया जाता है कि शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों से नहीं होती है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

17. चयन का तरीका:

17.1 टियर-I, खंड-I, खंड-II और टियर-II के खंड-III के मॉड्यूल-I में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैं:-

17.1.1	अना	: 30%
17.1.2	अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	: 25%
17.1.3	अन्य सभी श्रेणियां	: 20%

17.2 अभ्यर्थियों को टियर- I परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर टियर- II परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग योग्यता और अंतिम चयन के लिए किया जाएगा।

17.3 टियर- I और बाद के स्तरों में अलग-अलग पदों अर्थात (i) पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' (ii) पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय छोड़कर डाटा एंट्री

ऑपरेटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' और (iii) अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए अलग-अलग श्रेणी-वार कट-ऑफ होंगे।

17.4 टियर-I में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के लिए टियर-II परीक्षा आयोजित की जाएगी। टियर-II में, सभी अभ्यर्थियों को तीनों खंडों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

17.5 टियर-II में, अभ्यर्थियों के लिए सभी खंडों में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

17.6 टियर-II परीक्षा के खंड-I और खंड-II में समग्र प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों को टियर-II परीक्षा के खंड-III के मूल्यांकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी खंड-I +खंड-II में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, वे खंड-III के मूल्यांकन हेतु योग्य नहीं होंगे और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

17.7 टियर-II का खंड-III अर्हक प्रकृति का है, दूसरे शब्दों में दोनों मॉड्यूल अर्थात् कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा और कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा अर्हक प्रकृति की है । डीईओ के लिए कौशल परीक्षा सभी अर्हक अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। पैरा 13.9.7.7.7 के अनुसार, टंकण परीक्षा में उपस्थित होने से छूट पाने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर, डीईओ से इतर अन्य पदों के लिए टंकण परीक्षा अनिवार्य है ।

17.8 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प के जरिए ली जाएगी । यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद या मंत्रालय/विभाग के लिए अपनी वरीयता नहीं दी है तो उस पद या मंत्रालय/विभाग के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा । एक बार दिए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इसे बाद में बदला नहीं जाएगा। **इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्पों का चयन करने में सावधानी बरतें।**

17.9 जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (ओं) को प्रस्तुत नहीं करते हैं, अंतिम परिणाम में उनके नाम पर किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता का प्रयोग करने का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

इस संबंध में किसी भी रूप, जैसे- डाक, फ़ैक्स, ईमेल, दस्ती आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17.10 **मेरिट सूची केवल टियर-II परीक्षा में अभ्यर्थियों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।** आयोग द्वारा निर्धारित अर्हम मानकों के अनुसार, केवल टियर- II के खंड- III (दोनों मॉड्यूल) में अर्हताप्राप्त करने के अध्यक्षीन टियर- II परीक्षा के खंड - I और खंड- II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

17.11 प्रत्येक श्रेणी में, अभ्यर्थियों का अंतिम चयन 'टियर-II परीक्षा में समग्र प्रदर्शन' और उनके द्वारा दी गई 'पद वरीयता' के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसकी अर्हता के अनुसार पहली उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद, उसके नाम पर किसी अन्य विकल्प के लिए विचार नहीं किया जाएगा। **इसलिए, अभ्यर्थियों को बहुत सावधानी से पद संबंधी वरीयता देनी होगी।** अभ्यर्थियों द्वारा एक बार चुने गए विकल्प/वरीयता को **अंतिम और अपरिवर्तनीय** माना जाएगा। तत्पश्चात, अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन/सेवा में परिवर्तन करने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में / कारण से विचार नहीं किया जाएगा।

17.12 आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता और उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर पदों का अंतिम आवंटन करता है और एक बार पद आवंटित होने के पश्चात, किसी पद के लिए शारीरिक/चिकित्सीय/शैक्षणिक मानकों से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी है तथा उस पद के लिए उसका चयन किया जाता है और उस स्थिति में यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और उसके नाम पर अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा और आयोग द्वारा इस संबंध में किसी पत्राचार का जवाब नहीं दिया जाएगा।

17.13 आयोग द्वारा केवल एक बार परिणाम घोषित किया जाएगा और प्रयोक्ता विभागों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन करने के बाद अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का कोई और नामांकन नहीं

किया जाएगा। ऐसे मामलों में, विभाग मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

17.14 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै, और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणियों के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों /उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, में सहयोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै, और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।

17.15 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै, और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

17.16 बेंचमार्क दिव्यांगजन जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

17.17 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

17.18 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी

शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

17.19 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

17.20 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

17.21 यदि कोई अभ्यर्थी किसी टियर/स्तर में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदन्तर स्तर/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

17.22 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।

17.23 आयोग द्वारा केवल एक बार परिणाम घोषित किया जाएगा और प्रयोक्ता विभागों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को रिजेक्ट करना, प्रयोक्ता विभागों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के बाद शामिल नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों का आगे कोई नामांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, विभाग मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

17.24 अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद कोई प्रतीक्षा सूची/रिजर्व सूची नहीं होगी।

18. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा:

ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी टियर-11 में बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

18.1 टियर-11 परीक्षा के खंड-1 में प्राप्त अंक

18.2 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।

18.3 वर्णानुक्रमानुसार, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

19. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

19.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी स्तर पर निम्नलिखित कदाचारों में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन	3 वर्ष

	रखना।	
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों /हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे-कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

19.2 आयोग उचित लगने पर मामले को पुलिस /जांच एजेंसी को भी रिपोर्ट कर सकता है और आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञ से मामले की जांच कराने के लिये यथोचित कार्रवाई भी कर सकता है ।

20. **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ/ पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

21. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.संख्या 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट या राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए: (i) अभ्यर्थी का नाम (ii) पिता/पति का नाम (iii) जन्म तिथि (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/आपिव/भूपूसै) (v) अभ्यर्थी का लिंग (vi) शैक्षिक योग्यता (vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है (ix) पूरा पता (x) ई-मेल पता। तथापि, अपना आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा। तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने उपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

22. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

23. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के

लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

24. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा /लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात प्रयोक्ता विभागों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि मांगकर्ता प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों आदि की जांच के पश्चात यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(घ)	अजा/अजजा/अपिव/बेंदि/आकव/भूपूसै के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ.)	केवल बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। आवेदन की स्थिति ' आवेदन प्राप्त (विषय-वस्तु सत्यापित नहीं) ' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए

	आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	देयशुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा बेंचमार्क दिव्यांगजनों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
(ज)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(झ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-11 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(ञ)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(ट)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ठ)	लघु/धुंधले फोटोग्राफ और/या प्रारूप के अनुसार फोटो नहीं वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसी तरह, लघु/धुंधले

	हस्ताक्षर वाले आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।
(ड)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ढ)	आयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किए जाने के अध्यक्षीन सत्यापन के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों के आधार डाटा का उपयोग कर सकता है।
(ण)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (पैरा-14.8 के सूची अनुसार) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लिए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा-7.1, 7.2 और 7.3 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/ वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(त)	अंतिम परिणाम घोषित होने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के माध्यम से अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता ली जाएगी। एक अभ्यर्थी पर किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने इसके लिए अपनी वरीयता का संकेत नहीं दिया है। एक बार प्रस्तुत किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थी, जो निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (ओं) को जमा नहीं करते हैं, अंतिम परिणाम में उनके नाम पर किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता का प्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(थ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई

	की जाएगी।
(द)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ध)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(न)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(प)	ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए और उसमें सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन / अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकार्य फोटोग्राफ / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में चित्रित किए गए हैं।

अवर सचिव, भारत सरकार
09-05-2023

अनुबंध- 1

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-

पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती
.....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री
....., ग्राम/जिला/राज्य
..... के निवासी हैं, जोकि
.....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित
दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच
की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक
सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल
सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात् दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र
विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के
विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-।क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती
.....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री
....., निवासी(ग्राम /
डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु वर्ष, (दिव्यांगता
/ स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं
कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे
उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक
की सहायता की आवश्यकता है ।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और _____ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और
------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	------------------

नाम)				नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-11

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप)
दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम)
..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित
..... (केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक
है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि
(प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में
प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-1।क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र ।

मैं _____, _____ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी, _____ जिला, _____ (राज्य का नाम) में स्थित _____ (केंद्र का नाम), से _____ (परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर _____ है। मेरी शैक्षिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्वारा व्यक्त करता हूं कि _____ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

(ऑनलाइन आवेदन -पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं /दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा ।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट

iv. ड्राइविंग लाइसेंस

v. स्कूल / कॉलेज आई डी

vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/ पीएसयू/ प्राइवेट)

घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

ड. दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. प्रारंभिक विवरण

ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण

ग. घोषणा।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

क. किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।

ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।

घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।

ड. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।

- च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक** वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. रोल नंबर
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या-7: लिंग
- झ. क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ. क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य / संघ राज्य राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, अपनी पंजीकरण संख्या और बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या:15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंटआउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूँ' पर क्लिक करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

य. आधारभूत सूचना जमा करने के बाद, यदि पंजीकरण की प्रक्रिया 14 दिनों के अंदर पूरी नहीं की गई तो, आपके डाटा को सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. आप अपने एक बारगी पंजीकरण में संशोधन कर सकते है। तथापि, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें ।
7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज है। गलत / त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध-IIIक (1/4)

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *

Yes No

1a. Aadhaar Number

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID *

Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

2a. Name *

1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate

2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

2c. Have you ever changed Name?

Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

4a. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

5a. Date Of Birth (DD/MM/YYYY) *

Date Of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

(iii). Roll Number *

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate

2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)

3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

अनुबंध-IIIक (2/4)

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Graduation"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID*	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID*	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
• State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>

अनुबंध-IIIक (3/4)

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

[Edit](#)

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability (PwBD)? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE

VH: Blindness and low vision.

HH: Deaf and hard of hearing.

OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.

Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

[Previous](#)[Save](#)[Next](#)[Reset](#)[Close](#)

अनुबंध-IIIक (4/4)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

अनुबंध-IV

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:

क. हाल का (अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए। सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा फोटो अपेक्षित प्रारूप में अपलोड किया जाता है, तो उसका आवेदन / अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में चित्रित किए गए हैं।

ख. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

ग. अर्हक शैक्षणिक योग्यता आदि का विवरण जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशत / सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम दें।

2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉगइन करें।

3. 'नवीनतम अधिसूचना' टैब के अंतर्गत 'संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 +2) स्तरीय परीक्षा, 2023' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।

4. क्रम संख्या-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि आप इनमें से कोई डाटा संशोधित करना चाहते हैं, अपने डैशबोर्ड के बाएँ हाथ पर सबसे ऊपर कोने पर दिए 'Modify

Registration' पर क्लिक करें और आगे जाने से पहले यथोचित रूप से एक बारगी पंजीकरण डाटा का संपादन करें।

5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। परीक्षा केंद्र आप उसी क्षेत्र के भीतर चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों के लिए विकल्प वरीयता क्रम में दिया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-12 देखें।

6. क्रम संख्या-16: कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के लिए माध्यम चुनें। परीक्षा के लिए भाषाओं की सूची परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-XVI** में दी गई हैं।

7. क्रम संख्या-17: टंकण परीक्षा का माध्यम चुनें।

8. क्रम संख्या-18: यदि आपने 12वीं या समकक्ष कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान शाखा, जिसमें गणित एक विषय के रूप में लिया गया हो, में उत्तीर्ण की है तो 'Yes' क्लिक करें अन्यथा 'No' क्लिक करें।

9. क्रम संख्या-19: यदि आप सैन्य सेवाकर्मी या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / पूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है। अतः उन्हें 'No' का विकल्प चुनना चाहिए।

10. क्रम संख्या-20.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांगजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 20.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत दृ.दि. (दृष्टिहीनता /अल्प दृ.) के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.1 का संदर्भ लें।

11. क्रम संख्या-20.2: सूचना प्रदान करें कि आप, अस्थि दिव्यांग- दोनों बांह प्रभावित (अ.दि.- दो.बा.) अथवा अस्थि दिव्यांगता- प्रमस्तिष्क पक्षाघात (अ.दि.- प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांगजन –

अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा । क्रम सं. 20.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे , तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत अ.दि.- दो.बा. अथवा अ.दि.- प्र.प. दिव्यांगता के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.1 का संदर्भ लें ।

12. क्रम संख्या-20.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.2 अथवा 7.3 के अनुसार यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो क्रम सं. 9.1 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांजन – द.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 20.1 या 20.2 में 'Yes' का चयन किया हो । यह विकल्प अन्य बेंचमार्क दिव्यांजन तथा गैर बेंचमार्क दिव्यांजन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा । क्रम सं. 9 के अनुसार, क्रम सं. 20.3 में 'Yes' का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-1 के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । क्रम सं. 9 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांजन से भिन्न अभ्यर्थी (अर्थात 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 20.3 में 'Yes' का चयन किया है, प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-1क के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-7.2 और 7.3 देखें।

13. क्रम संख्या-20.4 से 20.6: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें। ये विकल्प केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिन्होंने क्रम सं. 20.1 अथवा 20.2 या 20.3 में 'Yes' का चयन किया हो ।

14. क्रम संख्या-21: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।

15. क्रम संख्या-22: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।

16. क्रम संख्या-23: कृपया अपनी अर्हक शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
17. क्रम संख्या-24: कृपया परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा सं. : 21 देखें और तदनुसार भरें ।
18. क्रम संख्या 25 से 27: वर्तमान और स्थाई पते से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
19. उपर्युक्त क्र. सं. 1-क में उल्लिखितानुसार हाल ही की फोटो (परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुरानी) अपलोड करें। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं । अभ्यर्थी उसका संदर्भ लें ।
20. उपर्युक्त क्र. सं. 1-ख में उल्लिखितानुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
21. क्रम संख्या-28: अपलोड किए गए फ़ोटो परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी न हों। यदि अपलोड की गई फोटो परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं है 'Yes' पर क्लिक करें ।
22. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और "मैं सहमत हूँ" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
23. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें । यदि आप विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले 'Edit/Modify' पर क्लिक करें तथा अपेक्षित परिवर्तन करें । यदि आप संतुष्ट हैं कि विवरण सही भरें गए हैं तो दी गई जानकारियों का पूर्वावलोकन करें और सत्यापन करें और आवेदन 'सबमिट' करें। आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर सकेंगे ।
24. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

25. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-10 का संदर्भ लें।

26. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति '**Application Received (Contents Not Verified)**' दर्शाई जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी तरह के शिकायत, यदि कोई हो तो, के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट की प्रति की आवश्यकता पड़ सकती है।

अनुबंध-IVक (1/4)

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>		
2. New / Changed Name:	<input type="text"/>		
3. Father's Name:	<input type="text" value="SAMPLE FATHER NAME"/>		
4. Mother's Name:	<input type="text" value="SAMPLE MOTHER NAME"/>		
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY)(as per Matriculation Certificate):	<input type="text" value="02/07/1998"/>		
6. Age as on 01/08/2023:	<input type="text" value="25.0"/>		
7. Gender:	<input type="text" value="Male"/>		
8. Category:	<input type="text" value="UR"/>		
9. Whether Person with Benchmark Disability (PwBD)?:	<input type="text" value="No"/>		
9.1. If Yes, Type of Disability:	<input type="text"/>		
10. Nationality:	<input type="text" value="Citizen of India"/>		
11. Mark of Visible Identification:	<input type="text" value="MOLE ON RIGHT CHEEK"/>		
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	<input type="text" value="Central Board of Secondary Education (CBSE)"/>		
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	<input type="text" value="301739"/>		
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	<input type="text" value="2013"/>		
15. Preference of Examination Centres:*	<input type="text" value="NR-Delhi(2201)"/> ▾	<input type="text" value="NR-Haridwar(2005)"/> ▾	<input type="text" value="NR-Bikaner(2404)"/> ▾
Please see Para - 12 of the Notice			
16. Medium for Computer Based Examination (CBE): *	<input type="text" value="English (2)"/> ▾		
Verify Medium for Computer Based Examination (CBE):	<input type="text" value="English (2)"/> ▾		
17. Medium for Typing Test:*	<input type="text" value="English"/> ▾		
Verify Medium for Typing Test:	<input type="text" value="English"/> ▾		
18. Whether 12th standard pass in Science Stream with Mathematics as a subject from a recognized Board or equivalent (for DEOs in Department/ Ministry mentioned at Para 8.1 of the Notice):*	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
19.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		

अनुबंध-IVक (2/4)

19.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

19.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

19.4. Length of service in the Armed Forces:

19.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM): Yes No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-5.4](#)

19.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

20.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Blindness (VH)? Yes No
[Please refer to the Notice of Examination, Para-7.1](#)

20.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of OH- Both Arms Affected (OH-BA) or OH- Cerebral Palsy (OH-CP)? Yes No
[Please refer to the Notice of Examination, Para-7.1](#)

20.3. Do you have a physical limitation to write as per Para 7.2 or 7.3 of the Notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I/ Annexure-IA to the Notice of Examination, would be required at the time of Examination.)? Yes No

20.4. Whether scribe is required?: Yes No
[Please see Para - 7 of the Notice](#)

20.5. Will you make your own arrangement of Scribe?: Yes No

20.6. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

21.1. Whether seeking Age Relaxation? : * Yes No

21.2. If Yes, Age Relaxation code:

22. Highest Educational Qualification: *

23. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="Passed"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="Delhi"/>	<input type="text" value="Central Board of Second"/>	<input type="text" value="12321421"/>	<input type="text" value="67"/>	<input type="text"/>

24. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? * Yes No
[Please see Para - 21 of the Notice](#)

अनुबंध-IVक (3/4)

25. Correspondence Address: Sample Permanent Address

State: Punjab

District: Patiala

Pin: 140401

26. Permanent Address Sample Permanent Address

State: Punjab

Pin: 140401

Mobile Number: 8111111111

Email: sample123@gmail.com

27. Contact Details for Other Nationals:

Photograph And Signature


Upload a photograph without
Spectacles/Cap taken on or after 09-
February-2023*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5
cm (height)

10000000026P.jpeg




Upload Signature*

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0
cm (height)

10000000026S.jpeg



28. Whether the photograph has been taken on or after
09-February-2023?: Yes No

अनुबंध-IVक (4/3)

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.
4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose. *

*Verification will be subject to authorization from competent authority.

I Agree













Try Another


Preview

Reset

Close

फोटोग्राफ के नमूने

स्वीकृत फोटोग्राफ		
		
<u>अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने</u>		
अत्यधिक रंगीन	बहुत नजदीक	टोपी के साथ
		
धुंधले फोटोग्राफ		
		
उल्टी फोटो	अत्यधिक गहरा रंग	धूप वाले चश्मे के साथ
		
तिरछी दृश्यमान फोटो	बहुत छोटी	चश्मे के साथ



अनुबंध-VI

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी
_____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो
_____ रू. के वेतनमान में _____ के पद पर अंतिम
तारीख के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्षकी नियमित सेवा कर चुके है।

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 20..... में उनके बैठने में कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है.

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध- VII

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____ (रैंक) _____
(नाम) _____ (दिनांक) _____ को
सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

की मुहर

कार्यालय

अनुबंध -VIII

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं , अनुक्रमांक

.....परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में
उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को
..... कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को
..... कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ; मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुबंध-IX

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप
भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत
किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____
पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____
जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के
_____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो
निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के
रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____

@ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

_____ @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956
बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966,
हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम,
1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)
अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य
अधिनियम, 1986, गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा
यथा संशोधित ।

@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम)
1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

_____ @ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 @

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991

@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और /या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है ।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

स्थान _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्दों का सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट /तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

+ (प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का न हो)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

अनुबंध-X

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
सुपुत्र/सुपुत्री _____

ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
_____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ----- दिनांक -----* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु० ----- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः-----
----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं
।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 9 मार्च, 2004, का.स. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था(रिज), दिनांक 27 मई 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर.....

पद.....\$

दिनांक:

मुहर

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

**- समय समय पर यथा संशोधित

\$- अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची वही है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची है।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

प्रारूप-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)
(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. -----दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----
----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----
डाकघर ----- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में -----निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने ----- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- % (शब्दों में) स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XII

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)
(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. -----दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
---- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि --
----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----
पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----
डाकघर ----- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं,
जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र.	निःशक्तता	शरीर	निदा	स्थायी
------	-----------	------	------	--------

सं.		के प्रभावि त अंग	न	शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्की य पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10	श्रवण दिव्यांगता	£		
11	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक बीमारी			

16	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18	पार्किन्सन बीमारी			
19	हेमोफिलि या			
20	थेलेसेमिया			
21	सिकल सेल डिसीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का	जारी करने	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले
-------------	-----------	----------------------------

स्वरूप	की तारीख	प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर
-------------------------	-------------------------	---------------------------

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XIII

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)
(नियम 18(1) देखें)

प्रमाण पत्र सं. -----दिनांक -----

निःशक्त व्यक्ति
का हाल ही का
पासपोर्ट आकार
का अनुप्रमाणित
फोटो (केवल
चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि
----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----
पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----
--- डाकघर ----- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी
निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक
जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे निशक्तता से
पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों

..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म			

	स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक बीमारी			
14	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16	पार्किन्सन बीमारी			
17	हेमोफिलि या			
18	थेलेसेमिया			
19	सिकल सेल डिसीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/
सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया
है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा
अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XIV

टंकण परीक्षा में बैठने से छूट चाहने वाले बैचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु.

.....सुपुत्र / सुपुत्री/ पत्नी श्री

.....से पीड़ित है।

नैदानिक निदान के परिणामस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दिव्यांगता है। (उनकी
दिव्यांगताओं का संक्षिप्त विवरण)

.....
.....

यह एक स्थायी विकलांगता है और उसका / उसकी दिव्यांगता, दिव्यांगता की
____% है। इस दिव्यांगता से टंकण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है
(विनिर्दिष्ट करें)

सिविल सर्जन का हस्ताक्षर:_____

नाम:_____

(कार्यालय की मोहर) _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

शरीर के
प्रभावित अंश
को स्पष्ट रूप से
दर्शाते हुए
अभ्यर्थी का
फोटोग्राफ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

अनुबंध-XV

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय
और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र**

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी

_____स्थायी _____ निवासी
_____गाँव/गली _____ डाकघर
_____जिला _____

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____ पिन कोड _____
जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ
हस्ताक्षर.....
नाम
पद.....

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति

परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

अनुबंध-XVI

परीक्षा हेतु भाषाएं

क्रम सं.	भाषा	कोड
1	हिंदी	01
2	अंग्रेजी	02
3	असमिया	03
4	बांग्ला	04
5	गुजराती	07
6	कन्नड़	08
7	कोंकणी	10
8	मलयालम	12
9	मणिपुरी (मैतेई अथवा मीथेई भी)	13
10	मराठी	14
11	उड़िया	16
12	पंजाबी	17
13	तमिल	21
14	तेलुगु	22
15	उर्दू	23

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के माध्यम के इस विकल्प का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें ।